पूर्व मध्य रेल
EAST CENTRAL RAILWAY
(Accounts Department)

कार्यालय
प्रविस / पूमरे
हाजीपुर
Office of the
PFA/ECR
Hajipur

No.ECR/Fin/Admn/App-2/ 2020

Dated, the 22th Feb 2021

To,

FA&CAO/RWP/BELA, WP/PNBE
FA&CAO/Con/MHX, TA,
Dy.FA&CAO/TA/HJP
Dy.FA&CAO/DMH, MEW,
Dy.CE (Con)/HJP/BRKA/HZME
Dy.CE (Con)/GANGA BRIDGE/PATNA
Assistant Secretary RRB/MFP/PNBE
Sr.EDPM/ECR/HJP, Sr.AFA (Co-ord)/S&W/HJP
Sr.DFM/SEE/MGS/DNR/DHN/SPJ, Sr.DPO/DNR
Principal, E.C. Rly, Sr. Secondary School Danapur, Khagaul
Sr.AFA/PD/MGS, Sr.AFA/WS/SPJ
Sr.AFA/RE/DNR,AFA/RCT/PNBE
AFA/CRW/HRT

Subject: Regarding Notification of Appendix-2 (IREM) Examination, 2020.

Please find enclosed herewith the notification for Appendix-2(IREM) Examination, 2020.

The application of willing and eligible staff in prescribed format duly filled up by the candidates and with the signature of controlling officer should be sent to this office (Confidential Section/Examination Cell) by 09.03.2021 through special messenger. Application received after 09.03.2021 will not be entertained.

The staff may, however, withdraw their candidature by 19.03.2021

Please acknowledgement receipt.

Enclosed: Notification (Page1 to 6)

22.2.21

(Arvind Kumar Sinha)
Sr.AFA/Admn
For PFA/HJP

No.ECR/Fin/Admn/App-2/2020

Dated, the 22th Feb 2021

Copy forwarded for information necessary action accordingly.

SR.AFA/AFA-ADMN/EXP/ENGA/PEN/FIN/AUDIT/EFFY/INSP/BGT/
Taxation Cell/PF/EGA/BOOKS/NPS/HJP

For PFA/HJP

पूर्व मध्य रेल

EAST CENTRAL RAILWAY

(Accounts Department)

कार्यालय
प्रविस/हाजीपुर
Office of the
PFA/Hajipur

संख्या–पूमरे/वित्त/प्रशा/परि0–2/2020 दिनांक–22.02.2021

अधिसूचना

परिशिष्ट–2 (आई.आर.ई.एम) परीक्षा, 2020 रेलवे स्कूल दानापुर में आयोजित की जायेगी। इस निमित्त लेखा विभाग के पात्र कर्मचारियों से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है। परीक्षा का विषय सामान्य बही खाता, सामान्य नियम एंव कार्यविधि तथा एक वैकल्पिक विषय होंगे।

- **जी.आर.पी. एवं वैकल्पिक विषय के प्रश्न पत्र में 80 प्रतिशत प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे। बाकी 20 प्रतिशत हेतु सामान्य तौर पर एक प्रश्न दिया जायेगा।**
- **परीक्षा अप्रैल 2021 में आयोजित की जायेगी। तिथि की घोषणा बाद में सूचित** की जायेगी।

(1) पात्रता की शर्तेः– (प्राधिकार) (As per IREM Vol. 1 App- 2/4 a to f)

(Authority- Rly Bd.'s letter no. 2004/AC-II/20/5 dtd 20.10.2004)

1.1 रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा सीधी भर्ती के तहत नियुक्त लेखा लिपिक एंव परीवीक्षाधीन अवर लेखा सहायक जो अधिसूचना जारी होने की तिथि तक लेखा विभाग में छः माह की सेवा पूर्ण कर चुके है एवं अवर लेखा सहायक जो रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा सीधी भर्ती के तहत नियुक्त हुए हैं उन्हें तीन वर्षों में उत्तीर्ण करने के लिए दो अवसर दिये जायेंगें।

1.2 सीधी भर्ती के तहत नियुक्त लेखा लिपिक एंव अवर लेखा सहायक जिन्होंने प्रारंभिक प्रशिक्षण प्राप्त नही किया है एवं उपरोक्त प्रशिक्षण परीक्षा में उत्तीण नहीं हुए है वे भी Appendix 2 (IREM) परीक्षा में शामिल होंगें एवं सफल होने पर परिणाम Provisional माना जायगा जब तक कि वे प्रशिक्षण परीक्षा में सफल नहीं होंगें।

1.3 टंकक और आशुलिपिक जो अधिसूचना जारी होने की तिथि तक लेखा विभाग में एक वर्ष सेवा पूर्ण कर चुके है एंव जिन्हें लेखा विभाग के कार्यों का व्यवहारिक ज्ञान है। इस संदर्भ में नियंत्रक अधिकारी द्वारा अभ्यर्थी के आवेदन पर यह सत्यापित किया जाये कि कर्मचारी को लेखा विभाग के कार्यो का ज्ञान है।

1.4 जूनियर कैशियर (पे बैंड रू 5200–20200 ग्रेड पे रू 2400), शर्राफ (पे बैंड रू 5200–20200 ग्रेड पे रू 1900), एंव सिनियर शर्राफ (पे बैंड रू 5200–20200 ग्रेड पे रू 2400) जो रोकड़ एंव भुगतान विभाग में एक वर्ष की सेवा पूर्ण कर चुके हैं एंव जिन्हें लेखाविभाग के कार्यों का व्यवहारिक ज्ञान है। इस संदर्भ में नियंत्रक अधिकारी द्वारा अभ्यर्थी के आवेदन पर यह सत्यापित किया जाय कि कर्मचारी को लेखा विभाग के कार्यों का ज्ञान है।

1.5 पे बैंड रू 9300–34800 ग्रेड पे रू 4200 एंव अधिक में कार्यरत कैशियर एंव शर्राफ केवल परिशिष्ट–3 (आई.आर.ई.एम) परीक्षा में शामिल होने की पात्रता प्राप्त करने हेतु इस परीक्षा में शामिल हो सकते है।

उपरोक्त 1.4 एवं 1.5 के अंतर्गत पात्र अभ्यर्थियों को परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल किया जाएगा।

Anim 22.2.21

(2) अस्थायी लेखा लिपिक/टंकक जिनकी सेवायें रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा नियमित नही है रेलवे बोर्ड द्वारा अनुमति दिये जाने पर ही इस परीक्षा में सम्मिलित किये जायेंगें। मात्र उक्त परीक्षा उत्तीर्ण करने से ही स्थायी रूप से समाहित करने का दावा स्वीकार्य नही होगा। इस आषय का प्रार्थना पत्र भी अभ्यर्थिओं को अपने आवेदन पत्र के साथ प्रेषित करना अनिवार्य है।

(3) परिशिष्ट–2 (आई.आर.ई.एम) परीक्षा हेतु सिलेबस/पाठ्यक्रम एवं पात्रता संबंधी जानकारी Annexure-'A' के रूप में उपलब्ध है।

(4) अभ्यर्थी को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए प्रत्येक विषय में न्यूनतम 40% (प्रतिशत) अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। रेलवे बोर्ड के पत्रांक 97-E(SCT)-I/25/25 दिनांक 13.03.2000 के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के मामले में परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए पूंर्णाक का 10% (प्रतिशत) की छूट/रियायत दी जायेगी अर्थात न्यूनतम 30% (प्रतिशत) अंक प्रत्येक विषय में प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

(5) **आने वाले परीक्षा में** छूट (Exemption) प्राप्त करने के लिए पूर्व की परीक्षा में न्यूनतम 50% (प्रतिशत) अंक संबंधित विषय में प्राप्त करना आनिवार्य होगा। ऐसे उम्मीदवार जो परीक्षा में विफल रहते हैं लेकिन किसी विषय में 50% प्रतिशत से ज्यादा अंक प्राप्त करते हैं, बाद की परीक्षाओं में उस विषय की परीक्षा में बैठने से छूट दी जायेगी।

(6) अभ्यर्थी "हिन्दी" अथवा "अंग्रेजी" माध्यम में उत्तर देने का विकल्प दे सकते है। इस संबंध में अभ्यर्थी द्वारा अपना विकल्प आवेदन में स्पष्ट रूप से भरा जाना चाहिए।

(7) रेलवे भर्ती बोर्ड से चयनित अवर लेखा सहायक को छोड़कर अन्य अभ्यर्थियों को समान्यतः 05 बार परीक्षा में बैठने के लिए अवसर दिये जाते हैं। जो अभ्यर्थी उक्त परीक्षा में छठे अवसर से लेकर दसवें अवसर में सम्मिलित होना चाहते है वे अपने आवदेन पत्र के साथ विशेष अवसर का भी आवेदन नियंत्रक अधिकारी की संस्तुति के साथ भेजे। विशेष अवसर के प्रार्थना पत्र के अभाव में ऐसे अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र निरस्त कर दिये जायेंगे जिसके लिए अभ्यर्थी स्वंय जिम्मेदार होंगे तथा इस कार्यालय द्वारा इस संबंध में कोई पत्र व्यवहार नही होगा। सभी नियंत्रक अधिकारी कृपया इसे सुनिश्चित कर लें।

	कोटि (Category)	सामान्य तौर पर दिया जाने वाला अवसर	विशेष तौर पर दिया जाने वाला अवसर
(i)	लेखा लिपिक	05	प्रधान वित्त सलाहकार के अनुमति से 06 से 08 अवसर महाप्रबंधक महोदय के अनुमति से 09 से 10 अवसर दिये जायेगें।
(ii)	अवर लेखा सहायक सीधी भर्ती (रेलवे भर्ती बोर्ड/अनुकम्पा) द्वारा नियुक्त	तीन वर्ष में 02 अवसर दिये जायेंगे	सेवा नियुक्ति तिथि से कुल चार वर्षो तक के लिए तीसरे अवसर हेतु महाप्रबंधक महोदय की स्वीकृति से।
(iii)	Cashier/Shroff	10	RBA 43/2015 के तहत

उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य कर्मचारियों को प्रदत्त अवसर Annexure-'A' के अनुसार होंगे।

Anish 22.2.21

(8) परीक्षा हेतु सभी अर्हक कर्मचारियों जिसमें अनुसूचित जाति एंव अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी भी शामिल है, के प्रशिक्षण की अवधि 21 दिन कार्य दिवस की होगी जो अभ्यर्थियों का रौल नम्बर जारी हो जाने के पश्चात् मुख्यालय एंव मंडलों द्वारा आयोजित की जाएगी। हाजीपुर एंव पटना स्थित लेखा कार्यालय तथा रे.प.का/बेला का प्रशिक्षण पूमरे/मुख्यालय हाजीपुर में होगा। विभिन्न मंडलों के अभ्यर्थी/कर्मचारी का प्रशिक्षण मंडल स्तर पर ही दिया जाएगा। पी.डी. मुगलसराय एंव का.ले.का समस्तीपुर के अभ्यर्थी का प्रशिक्षण क्रमशः मुगलसराय मंडल एंव समस्तीपुर मंडल द्वारा दी जाएगी। सडिमका/हरनौत के अभ्यर्थी/कर्मचारीयों का प्रशिक्षण वसविस हरनौत द्वारा आयोजित की जायेगी। यह प्रशिक्षण व.अ.अधि(ले)/वचलेनि/वभंलेनि के द्वारा दी जाएगी।

(9) **परीक्षा में पूछे गए वस्तुनिष्ठ किस्म के प्रश्न कर्मचारियों की अपेक्षित क्षमता के आकलन हेतु होगा। साथ ही वस्तुनिष्ठ प्रश्न पत्र "आंतरिक जॉच की गुणवत्ता में किसी प्रकार की कमी न आए" से संबंधित भी होगा।**

(10) जो अभ्यर्थी उपरोक्त पात्रता शर्तो को पूरा करते है वे अपना आवेदन पत्र निर्धारित संलग्न प्रारूप में अपने नियंत्रक अधिकारी के पास जमा कर दे तथा नियंत्रक अधिकरी पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन पत्र इस कार्यालय को दिनांक 09.03.2021 तक पत्रवाहक के माध्यम से प्रेषित करने की व्यवस्था करें। निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त आवेदन पर कोई विचार नही किया जाएगा। दिनांक 19.03.2021 तक अभ्यर्थी अपना नाम वापस ले सकते है।

संलग्नकः–

1. परीक्षा का पाठ्यक्रम एवं पात्रता संबंधी सूचना (Annexure- 'A')।
2. आवदेन पत्र का प्रारूप (Annexure- 'B')।

Amin 22.2.21
वसविस/प्रशासन
कृते प्रविस/हाजीपुर

O/C 22/02/21 22-02-2021

Annexure - 'A'

2. Forty percent of the maximum marks in each subject will be required to secure a pass. This has effect from the examination held in November 1956 onwards.

3. The examination will be conducted by the Head of each Office, who will also decide the intervals at which it should be held.

4(a). Ordinarily no Railway servant will be permitted to take the examination more than five chances for Appendix 2 IREM Examinations but the FA&CAO/General Managers are delegated with powers to grant additional chances to the candidates appearing in the aforesaid examinations as detailed below:-

Particulars of Exam.	Normal chances	Permission may be granted by FA&CAO	Permission may be granted by GM	Railway Board
Examination for promotion beyond Accounts Clerks (as laid down in this Appendix)	5	6th to 8th chance	9th and 10th chance.	No reference will be made to Board for chance beyond 10th chance.

Note: This Sub Rule is not applicable to directly recruited JAAs who are required to pass Appendix II examination in two chances/ within three years of their joining service as JAAs failing which their services are liable to be terminated. However, the request for grant of a third chance, on the specific recommendation of the FA&CAO, may be granted by the G.M., to be availed of within total span of four years of joining service as JAAs before action to terminate their services is taken.�

(Authority: Railway Board�s letter No. 2004/AC-II/20/5 dated 20.10.2004)

(b) No railway servant, who has less than six months service in a Railway Accounts Office or who has not a reasonable chance of passing the examination will be allowed to appear in the examination prescribed in this Appendix. In exceptional circumstances the condition regarding six months minimum service may be waived by the General Manager.

(c) Temporary railway servants may be permitted to sit for the examination, but it should be clearly understood that the passing of this examination will not give them a claim for absorption in the permanent cadre.

(d) A candidate who fails in the examination but shows marked excellence by obtaining not less than 50% in any subject may be exempted from further examination in that subject in subsequent examinations.

4 (e) The permission accorded to a candidate to appear in the examination counts as a chance availed of even if the candidate does not actually sit for the examination unless an application from the candidate is received by the General Manager each year for withdrawal from the examination and is accepted by the General Manager.

4 (f) In the case of candidates prevented from appearing in the Appendix-2 (IREM) examination owing to circumstances beyond their control, an application for exemption from counting the permission granted as a chance availed of should be made to the General Manager within a fortnight from the last date of the examination supported by certificates (Medical Certificates conforming to the Rules in Chapter 5 of Indian Railway Medical Manual, Vol. I) obtained by them before the termination of the examination.

(Authority: Railway Board�s letter No. 2004/AC-II/20/5 dated 20.10.2004)

5. No alteration shall be made in these rules without the prior sanction of the Railway Board.

Arinks 22.2.21

Annexure 'A'

APPENDIX 2

QUALIFYING EXAMINATION FOR PROMOTION ABOVE ACCOUNTS CLERKS OF THE ACCOUNTS DEPARTMENT UP TO AND INCLUDING THE RANK OF ACCOUNTS ASSISTANTS

I. Syllabus of the examination will be as follows.�

Examination will consist of three papers, one on Elementary Book-keeping, another on General rules and Procedure which will include a compulsory question in regard to framing a draft letter, and the third on a particular branch of Accounting. The first paper will examine the candidate's knowledge of the general principles and Practices of Elementary Bookkeeping, and the following Chapters of Double Entry book- keeping by J. R. Batliboi, are prescribed as test�

(i) Elements of Double Entry.

(ii) Rules for Journalizing.

(iii) Ledger Accounts,

(iv) Sub-Divisions of Journal.

(v) The Cash Book.

(vi) Banking Transactions,

(vii) Bill Transactions,

(viii) The Journal proper,

(ix) The Trial Balance.

(x) The Trading Account,

(xi) The Profit and Loss Account.

(xii) The Balance Sheet.

(xiii) Depreciation, Reserve and other Funds.

The paper on General Rules and Procedure will be such as to test the candidate's ability to frame a draft and also to test the candidate's knowledge of the procedure in force in the office in which he is serving and general rules applicable to all branches of the Railway Accounts Office and the questions will be of an elementary nature. The third paper will be of a nature to test the candidate's theoretical and practical knowledge of work in any one of the following branches.

(a) Establishment and Provident Fund.

(b) Stores Accounts.

(c) General Expenditure Accounts.

(d) Workshop Accounts.

(e) Books and Budget and Appropriation Accounts.

(f) Coaching, Passenger. Parcels and Coaching Statistics, including a knowledge of machine methods and Traffic Book.

(g) Goods and Goods Statistics, including a knowledge of machine methods and Traffic Book.

Annexure 'B'

परिशिष्ट–2 (आई.आर.ई.एम) परीक्षा 2020 के लिए आवेदन पत्र

Please Affix Recent colour Photograph

1. अभ्यर्थी का नाम क) हिन्दी में..
   ख) अंग्रेजी में..
   ग) भविष्य निधि सं0 / कर्मचारी सं0..
   घ) मोबाइल न0 ....
2. पिता / पति का नाम..
3. अनुभाग..कार्यालय..
4. वर्तमान पद..
5. वर्तमान पद में पदोन्नति की तिथि.......................
6. क्या अनुसूचित जाति / जनजाति के है, यदि **हाँ** तो स्पष्ट उल्लेख करे...............................
7. नियुक्ति तिथि क) रेल सेवा में...
   ख) लेखा विभाग में...
   ग) कैश एंव पे विभाग में (कैशियर एंव शर्राफ के लिए)...........................
   घ) ग्रुप 'डी' से ग्रुप 'सी' में पदोन्नति की तिथि...............................
8. शैक्षणिक योग्यता ....
9. नियुक्ति का श्रोत..
10. परीक्षा का माध्यम (हिन्दी / अंग्रेजी)..
11. लेखा लिपिक / अवर लेखा सहायक के लिए
    क्या नियुक्ति के बाद निधारिंत प्रशिक्षणोपरांत परीक्षा पास है, यदि हॉ तो परीक्षा का परिणाम वर्ष......
12. क्या इससे पूर्व परि–2 परीक्षा में सम्मिलित हो चुके है, यदि हाँ तो कितनी बार / अवसर बैठें है, उसका पूर्ण विवरण दे:–

Sl.no	Year	Roll no.	Railways	Sl.no	Year	Roll no.	Railways
1				**6**			
2				**7**			
3				**8**			
4				**9**			
5				**10**			

13. परि–2 (आई.आर.ई.एम) परीक्षा में बैठने से छूट (Exemption) प्राप्त विषयों का विवरण

Sl.no	छूट (Exemption)	Roll No.	Year

14. परीक्षा हेतु वैकल्पिक विषय ....

मैं यह घोषणा करता हूँ कि मेरी जानकारी के अनुसार उपर्युक्त विवरण सत्य है तथा उपरोक्त में किसी विवरण के गलत पाये जाने की दशा में पूरी जिम्मेवारी मेरी होगी।

अभ्यर्थी का हस्ताक्षर

यह सत्यापित किया जाता हैं कि अभ्यर्थी उपरोक्त परीक्षा हेतु निर्धारित शर्तो को पूरा करता है तथा रेल सेवा में छः माह / एक वर्ष पूरा कर लिया है।

मैं इस बात से संतुष्ट हूँ कि अभ्यर्थी जो नियमानुसार परीक्षा में बैठने के पात्र है, के संबंध में दिये गये उपरोक्त सभी विवरण मेरी जानकारी के अनुसार ठीक है। यह स्फूर्तिमान एंव सच्चरित्र और इनकी उपस्थिति नियमित रही है।

हस्ताक्षर नियंत्रक अधिकारी
(राजपत्रित)

22.2.21